INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

RAJASTHAN POLICE

राजस्थान उपनिरीक्षक

(S.I.)/प्लाटून कमांडर

HANDWRITTEN NOTES

भाग -3 भूगोल + राजव्यवस्था + अर्थव्यवस्था (राजस्थान)

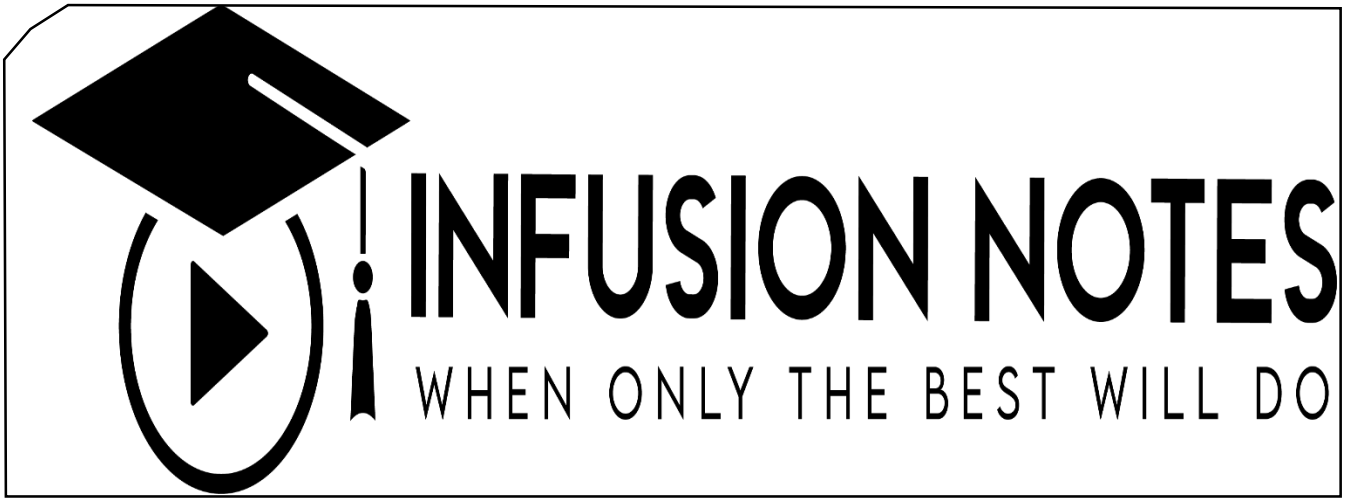

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान

उपनिरीक्षक (S.I) / प्लाटून कमांडर

भाग – 3

भूगोल + राजव्यवस्था + अर्थव्यवस्था (राजस्थान)

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**राजस्थान उपनिरीक्षक (SI / प्लाटून कमांडर)** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"राजस्थान उपनिरीक्षक (SI / प्लाटून कमांडर)" की** परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302017 (RAJASTHAN)

मो : 01414045784, 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Online order करें ➡ https://cutt.ly/o0zXjbh

Whatsapp करें - ➡ https://wa.link/nr1tcz

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम (2023)**

राजस्थान का भूगोल

1. सामान्य परिचय 1

2. नदियाँ एवं झीलें 35

3. राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाएँ 58

4. राजस्थान की जलवायु 64

5. मृदा संसाधन 75

6. वन संपदा एवं वन्य जीव अभ्यारण्य 78

7. राजस्थान में कृषि 86

8. राजस्थान में खनिज संसाधन 96

9. जनसंख्या – वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात 108

10. प्रमुख उद्योग 119

11. जैव विविधता एवं इनका संरक्षण 123

राजस्थान की राजव्यवस्था

1. राज्यपाल 130

2. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् 138

3. राज्य विधान सभा 146

4. उच्च न्यायालय 156

5. राजस्थान लोक सेवा आयोग 164

6. राजस्थान में जिला प्रशासन 165

7. राज्य मानवाधिकार आयोग 171

8. लोकायुक्त 173

9. राज्य निर्वाचन आयोग 175

10. राज्य सूचना आयोग 177

11. लोकनीति 179

12. विधि की अवधारणा 182

13. नागरिक अधिकार – पत्र घोषणापत्र 187

14. महिला एवं बाल अपराध 190

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

1. अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य 201

2. राजस्थान कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दे 212

3. राजस्थान में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र 218

4. अभिवृद्धि, विकास एवं नियोजन 229

5. गरीबी एवं बेरोजगारी 235

6. विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ 243

राजस्थान का भूगोल

अध्याय – ।

सामान्य परिचय

राजस्थान की स्थितिः- प्रिय छात्रों, राजस्थान की स्थिति को हम सर्वप्रथम पृथ्वी पर तत्पश्चात एशिया में और फिर भारत में देखेंगे।

(1) राजस्थान की स्थिति "पृथ्वी" परः- पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति को समझने से पहले निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना होगा –

(क) अंगारा लैंड / यूरेशियल प्लेट

(ख) गोंडवाना लैंड प्लेट

(ग) टेथिस सागर

(घ) पेंजिया

(ङ) पेंथालासा

नोटः- प्रिय छात्रों, कृपया ध्यान दें कि – आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी दो भागों में विभाजित थी।

1. स्थल

2. जल

- जैसा कि आज भी दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान में यदि हम स्थल मंडल को देखें तो हमें यह कई भागों में विभाजित दिखाई देता है, जैसे सात महाद्वीप अलग - अलग हैं।
- उनके भी कई देश एक - दूसरे से काफी अलग अलग है। लेकिन लाखों – करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण स्थलमंडल सिर्फ एक ही था।
- इसी **स्थलीय क्षेत्र को "पेंजिया"** के नाम से जानते थे तथा शेष बचे हुए भाग को **(जल वाले क्षेत्र को) "पेंथालासा"** के नाम से जानते थे।
- नीचे दिए गए मानचित्र से समझने की कोशिश कीजिए-

प्रिय छात्रों, पृथ्वी परिक्रमण एवं परिभ्रमण गति करती है अर्थात् अपने स्थान पर भी (1 दिन में) घूमती है, और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी की इस गति की वजह से स्थल मंडल की प्लेटों में हलचल होने की वजह से पेंजिया (स्थलीय क्षेत्र) दो भागों में विभाजित हो गया जिसके उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ। इस **स्थलीय क्षेत्र को "अंगारा लैंड / यूरेशियन प्लेट"** के नाम से जानते हैं।

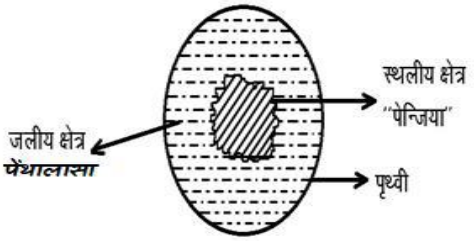

इसके दूसरे भाग (दक्षिणी) में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, इस क्षेत्र को **"गोंडवाना लैंड"** 'प्लेट' के नाम से जानते हैं।

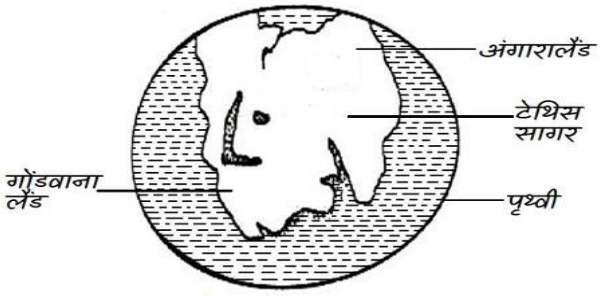

- दोनों प्लेटों के बीच में विशाल सागर था जिसे "टेथिस सागर" के नाम से जानते थे।
- इसको नीचे दिए गए मानचित्र की सहायता से समझते हैं-

विशेष नोटः- राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें "टेथिस सागर" के अवशेष है तथा राजस्थान का मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र (अरावली पर्वतमाला) एवं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग "गोंडवाना लैंड" प्लेट के हिस्से हैं।

टेथिस सागर- टेथिस सागर को गोंडवाना लैंड प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है जो कि एक

छिछला और संकरा सागर था, और इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरुप अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय और आल्प्स जैसे महान पहाड़ों की रचना हुई है।

प्रिय छात्रों, अब तक हम अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर, पेंजिया तथा पेंथाल्ला का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर चुके हैं। अब हम **पृथ्वी पर राजस्थान की** स्थिति, का अध्ययन करते हैं। नीचे दिए गए मानचित्रों को ध्यान से समझिए-

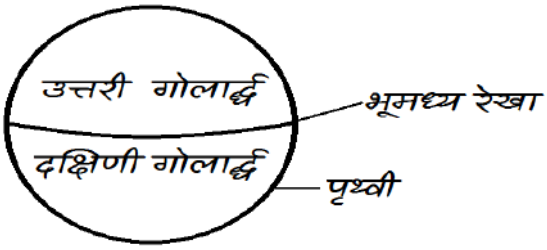

मानचित्र – 1

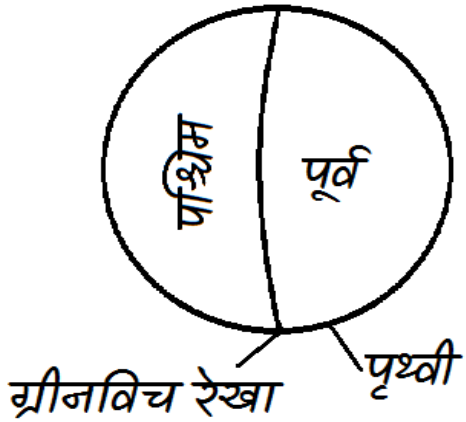

मानचित्र – 2

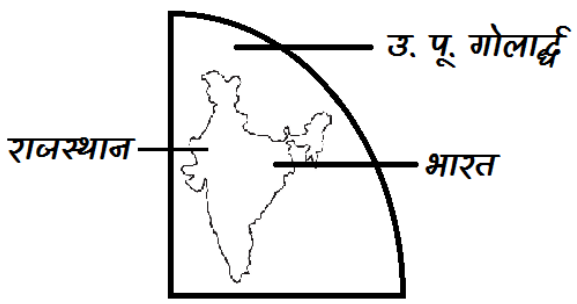

मानचित्र – 3

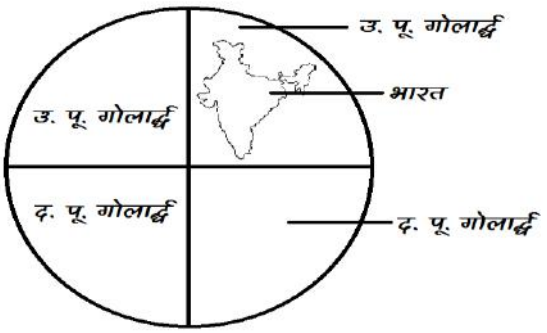

मानचित्र – 4

प्रिय छात्रों ऊपर दिए गए मानचित्र के बारे में एक बार समझते हैं।

- **पृथ्वी को भूमध्य रेखा** (विषुवत रेखा) से दो **भागों में** विभाजित किया गया है –

  1. उत्तरी गोलार्द्ध

  2. दक्षिणी गोलार्द्ध

  इसे आप मानचित्र – 1 के माध्यम से समझ सकते हैं।

  इसी प्रकार ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है–

  1. पूर्वी क्षेत्र

  2. पश्चिमी क्षेत्र

  जिसे आप मानचित्र – 2 में देख सकते हैं।

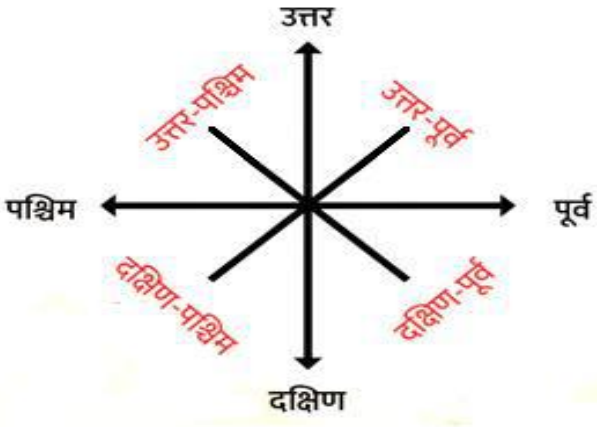

नोट :-

1. विश्व (अर्थात् **पृथ्वी पर**) में राजस्थान **"उत्तर - पूर्व"** दिशा में स्थित है। (देखे मानचित्र- 3)

2. एशिया महाद्वीप में राजस्थान **"दक्षिणी -पश्चिम"** दिशा में स्थित है। (देखिए मानचित्र – 3,4)

3. **भारत में** राजस्थान **उत्तर - पश्चिम** में स्थित है। देखिए मानचित्र -4 (भारत)]

अब तक हमने देखा कि राजस्थान शब्द का उद्भव कैसे हुआ? तथा हम ने समझा कि पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति कहां पर है? अब हम अपने अगले बिंदु "राजस्थान का विस्तार" के बारे में पढ़ते हैं-

<u>राजस्थान का विस्तार</u> -इसका अध्ययन करने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझिए-

1. भूमध्य रेखा (विषुवत रेखा)
2. कर्क रेखा
3. मकर रेखा
4. अक्षांश
5. देशांतर

इन मानचित्र को ध्यान से समझिए-

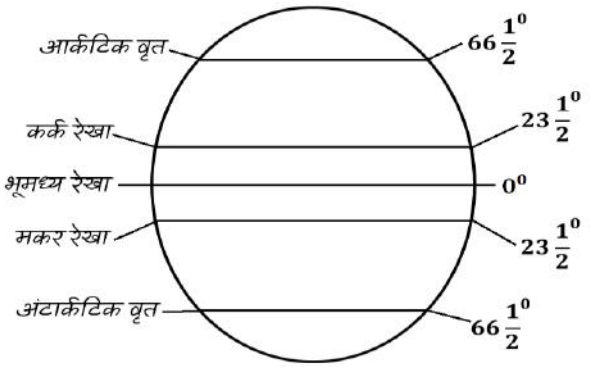

मानचित्र – 1

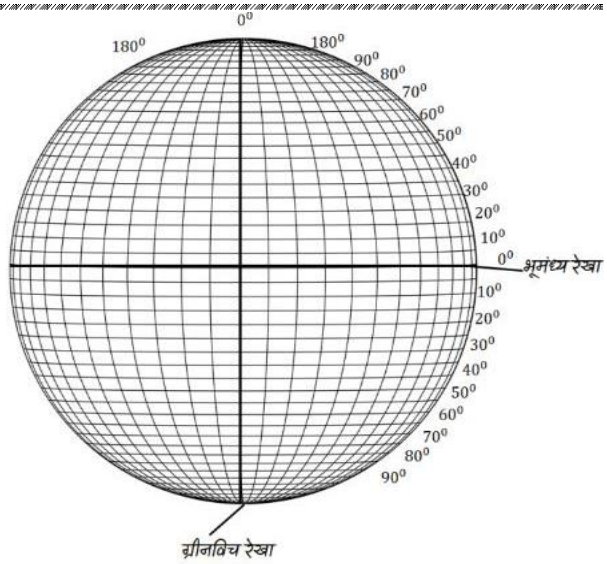

मानचित्र – 2

<u>नोट</u> - भूमध्य रेखा :- "विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा" पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को दो गोलार्द्धों, उत्तरी व दक्षिणी में विभाजित करती है।

इस रेखा पर प्रायः वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती, यही कारण है कि इसे **विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा** कहा जाता है।

विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है व दक्षिण में मकर रेखा है।

<u>नोट</u>- पृथ्वी या ग्लोब को दो काल्पनिक रेखाओं द्वारा "उत्तर - दक्षिण तथा पूर्व - पश्चिम"में विभाजित किया गया है। इन्हें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के नाम से जानते है।

अक्षांश रेखाएँ - वह रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर बनी हुई है, अर्थात् भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। **भूमध्य रेखा को अक्षांश रेखा** माना गया है। (देखें मानचित्र -I)

ग्लोब पर कुछ अक्षांशों की संख्या (90° उत्तरी गोलार्द्ध में और 90° दक्षिणी गोलार्द्ध में) कुल 180° है तथा अक्षांश रेखा को शामिल करने पर इनकी संख्या 181° होती है।

देशांतर रेखाएं- उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360° रेखाओं को देशांतर रेखाएँ कहा जाता है।

पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तर - दक्षिण दिशा में खींची गयी। **काल्पनिक रेखाओं को याम्योत्तर, देशान्तर, मध्यान्तर रेखाएं कहते हैं।**

- ग्रीनविच, (जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेंधशाला स्थित है) से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं।
- इसका मान देशांतर है तथा यहाँ से हम 180° डिग्री पूर्व या 180° डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं।

नोट –उपर्युक्त विषय को अधिक विस्तार से समझने के लिए हमारी अन्य पुस्तक ''भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़े"।

राजस्थान का **अक्षांशीय विस्तार 23°03" से 30°12" उत्तरी अक्षांश** ही तक है जिसका **अंतर 7°09 मिनट** है। जबकि राजस्थान का **देशांतरीय विस्तार 69°30" से 78°17" पूर्वी देशांतर** है। जिसका अंतर **8°47 मिनट है।** (देखें मानचित्र A, B)

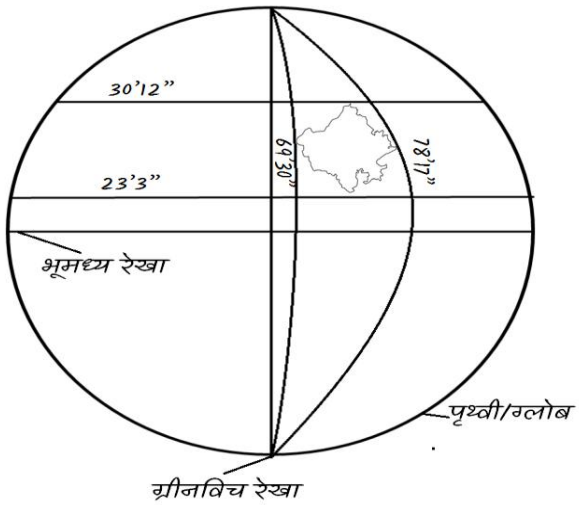

(मानचित्र-A)

नोट- राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार **7°9"(30°12"- 23°03")** है तथा कुल देशांतरीय विस्तार **8°47" (78°17" - 69°30")** है।

1° = 4 मिनट

1" =111.4 किलोमीटर होता है।

- राजस्थान का कुल **क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर** है जो कि संपूर्ण भारत का **10.41%** है।
- भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
- जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। जो संपूर्ण विश्व का 2.42% है।
- 1 नवंबर 2000 से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का **सबसे बड़ा राज्य मध्यप्रदेश** था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग होने हो जाने पर भारत का **सबसे बड़ा राज्य** (क्षेत्रफल की दृष्टि से) राजस्थान बन गया।

  2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 68,548,437 थी। जो कि कुल देश की जनसंख्या का **5.67%** है।

3. इस प्रदेश में मुख्य रूप से काली एवं लाल **मिट्टियां** पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाने का कारण यहाँ पर पठारी क्षेत्र है पठारी क्षेत्र का निर्माण लावा के द्वारा होता है। लाल मिट्टी करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में पाई जाती है।

4. इस प्रदेश में मुख्य रूप से कपास, गन्ना, चावल, खट्टे रसदार फल, सब्जियाँ आदि का मुख्य रूप से उत्पादन होता है झालावाड़ में मौसमी / संतरा सर्वाधिक होता है

5. राजस्थान के इस क्षेत्र प्रदेश में **धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए** जाते हैं जैसे - कोटा में कोटा स्टोन, भीलवाड़ा में अभ्रक, टोंक में तांमडा (एक अधात्विक खनिज है) यहाँ मुख्य रूप से साल एवं सागवान, जामुन, बरगद आदि के वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। **बांस को आदिवासियों का "हरा सोना" कहा जाता है आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ** को कहा जाता है।

6. इस क्षेत्र में **औसत वार्षिक वर्षा 80 सेमी० से 120 सेमी०** तक होती है इस प्रदेश को दो भागों में बाँटा गया है

- विंध्याचल चट्टानी प्रदेश जिसमें चूना पत्थर चिकनी मिट्टी
- हाड़ौती का पठार

7. महान सीमा भ्रंश - अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी को अरावली से अलग करता है

अध्याय – 2

नदियां एवं झीलें

अपवाह तंत्र -

- जब नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल का प्रवाह करती हैं, तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं।
- अपवाह तंत्र में नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियाँ शामिल होती हैं।
- जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ मिल कर एक अपवाह तंत्र बनाती हैं उसी प्रकार सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ (झेलम, रावी, व्यास, चिनाब) मिलकर एक अपवाह तंत्र बनाती हैं।
- इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ भी अपवाह तंत्र बनाती हैं।
- भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तथा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाली नदी ब्रह्मपुत्र है।

अब हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में।

- राजस्थान में कई नदियाँ हैं जैसे लूनी, माही, बनास, चंबल। इसके अलावा यहाँ पर स्थित कई झीलें भी इस अपवाह तंत्र में शामिल होती हैं।
- प्रिय छात्रों जैसा कि आपको मालूम है राजस्थान में **अरावली पर्वतमाला** स्थित है, यह राजस्थान के लगभग बीच में स्थित है इसलिए यह **राज्य की नदियों का स्पष्ट रूप से दो भागों** में विभाजित करती है।
- **इसके पूर्व में बहने वाली नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में** तथा इसके **पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अपना जल अरब सागर** में लेकर जाती है।
- राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम दो भागों में विभक्त करेंगे फिर उनके अन्य क्रमशः 4 एवं 3 उप भाग होंगे -

1. क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण
2. अपवाह के आधार पर वर्गीकरण

1. क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण को चार भागों में बाँटा गया है -

(अ) उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान- इस तंत्र में लूनी, जवाई, सूकड़ी, बांडी ,सागी जोजड़ी घग्घर, कातली नदियाँ शामिल होती है।

(ब) दक्षिण व पश्चिमी राजस्थान - इसमें पश्चिमी बनास, साबरमती, वाकल, व सेई नदियाँ शामिल होती हैं

(स) दक्षिणी राजस्थान - इसमें माही, सोम, जाखम, अनास मोरेन नदियाँ शामिल होती हैं।

(द) दक्षिण - पूर्वी राजस्थान - इसमें चंबल, कुनु, पार्वती, कालीसिंध, कुराल, आहू, नेवज, परवन, मेज, गंभीरी, छोटी कालीसिंध, ढीला, खारी, माशी, कालीसिल, मोरेल, डाई, सोहादरा आदि नदियाँ शामिल होती हैं।

2. अपवाह के आधार पर वर्गीकरण - प्रिय छात्रों नदियों के विभाजन का सबसे अच्छा तरीका है और इसी आधार पर नदियों को तीन भागों में बाँटा गया है

(अ) बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ

इस अपवाह तंत्र में प्रमुख नदियाँ शामिल होती हैं। जैसे **चंबल, बनास, कालीसिंध, पार्वती, बाण गंगा, खारी, बेड़च, गंभीरी आदि।** ये नदियाँ अरावली के पूर्व में बहती हैं इनमें कुछ नदियों का उद्गम स्थल अरावली का पूर्वी घाट तथा कुछ का मध्यप्रदेश का विंध्याचल पर्वत है यह सभी नदियाँ अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी मेंले जाती हैं।

(ब) अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ -

इस अपवाह तंत्र में शामिल प्रमुख नदियाँ है। जैसे **माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी, इत्यादि। पश्चिमी बनास, लूनी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं,** ये सभी नदियाँ अरब सागर की ओर अपना जल लेकर जाती हैं।

(स) अंतः प्रवाह वाली नदियाँ -

बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो कुछ दूरी तक प्रभावी होकर राज्य में अपने क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं तथा उनका जल समुद्र तक नहीं जा पाता है, इसलिए इन्हें आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कहा जाता है, जैसे :- **काकनी, कांतली, साबी घग्घर, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़ इत्यादि।**

राजस्थान राज्य की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है -

राजस्थान की अधिकांश नदियों का प्रवाह क्षेत्र अरावली पर्वत की पूर्व में है।

- **राजस्थान में चंबल तथा माही के अलावा अन्य कोई नदी बारह मासी नहीं है।**
- **राज्य में चूरू व बीकानेर दो ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है।**
- श्रीगंगानगर में पृथक् से कोई नदी नहीं है लेकिन वर्षा होने पर घग्घर नदी का बाढ़ का पानी सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक चला जाता है।
- राज्य के 60% भू-भाग पर आंतरिक जल प्रवाह का विस्तार है।
- राज्य में सबसे अधिक सतही जल चंबल नदी में उपलब्ध है।
- **राज्य में बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है।**
- **राज्य में सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में** बहती हैं।
- **राज्य की सबसे बड़ी नदी चंबल है।**
- पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं।
- मारवाड़ की जीवन रेखा लूनी नदी को कहते हैं।
- बीकानेर की जीवन रेखा कंवर सेन लिफ्ट परियोजना को कहते हैं।
- राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद झील कहलाती है।
- भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील है।
- गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा परियोजना है।
- जमशेदपुर की जीवन रेखा स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है इस नदी पर हुंडरू जल प्रपात स्थित है।
- आदिवासियों की या दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा माही नदी को कहा जाता है।
- पूरे राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास है।
- भारत सरकार द्वारा राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1955 में की गई थी। इस बोर्ड का नियंत्रण राजस्थान सरकार को सौंपा गया था। 1971 से इस बोर्ड को भूजल विभाग के नाम से जाना जाता है इसका कार्यालय जोधपुर में है।
- पूर्णत : राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास है।

- चंबल नदी पर भैंसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़) के निकट चूलिया जल प्रपात तथा मांगली नदी पर बूंदी में "भीमलत प्रपात" है।
- सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ चंबल, बनास, लूणी है, जो कि प्रत्येक नदी 6 जिलों में बहती है।
- **अंतर्राज्य सीमा बनाने वाली एक मात्र नदी है चंबल,** जो कि राजस्थान व मध्यप्रदेश की सीमा बनाती है।
- टोंक जिले की राजमहल नामक जगह पर बनास नदी, डाई नदी तथा खारी नदी के द्वारा त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। यहाँ शिव एवं सूर्य की संयुक्त प्रतिमा स्थित है, जो मार्तंड भैरव मंदिर या देवनारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है यहाँ नारायण सागर बाँध स्थित है।

प्रिय छात्रों अब हम प्रत्येक अपवाह तंत्र को विस्तृत रूप से समझते हैं। सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी की ओर चले जाने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे -

I. **चंबल नदी** –प्रिय छात्रों चंबल नदी के बारे में हम समझते हैं कि क्या है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं –

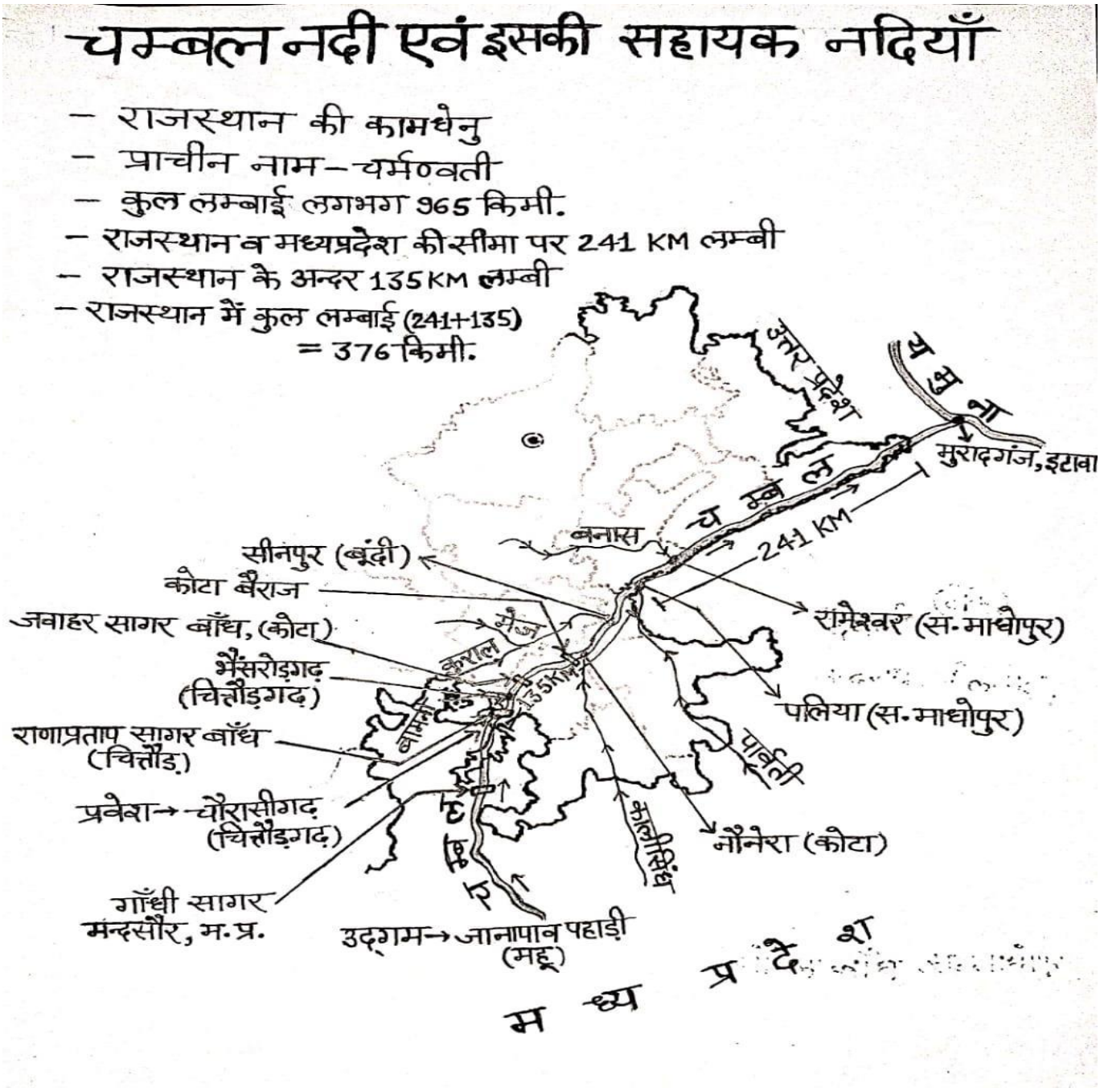

- चंबल नदी राजस्थान की एक मात्र ऐसी नदी है जो प्राकृतिक अंतर्राज्य सीमा निर्धारित करती है इस नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है इसके अन्य नाम है चर्मणवती नदी, कामधेनु नदी, बारह मासी नदी, नित्य वाहिनी नदी।
- इस नदी की **कुल लंबाई लगभग 966 किलो मीटर है। यह नदी मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तरप्रदेश अर्थात् 3 राज्यों में बहती है** यह नदी मध्यप्रदेश में लगभग 335 किलो मीटर, राजस्थान में लगभग 130 किलो मीटर, उत्तरप्रदेश में लगभग 225 किलो मीटर बहती है ।
- यह नदी राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के मध्य लगभग 241 किलो मीटर की अंतर्राज्य सीमा भी बनाती है।
- इस नदी का **उद्गम स्थल मध्यप्रदेश के महु के निकट विंध्याचल पर्वतमाला** में स्थित 616 मीटर ऊंची "जानापाओ की पहाड़ी" से होता है ।
- मध्यप्रदेश में मंदसौर जिला में स्थित रामपुरा भानपुरा के पठारों में स्थित इस नदी का सबसे बड़ा बाँध **"गांधी सागर बाँध"** बना हुआ है।
- यह नदी राजस्थान में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है।
- इस नदी पर भैंसरोड़गढ़ के समीप सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जल प्रपात बना है जिसे चूलिया जल प्रपात के नाम से जानते हैं।
- चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नामक स्थान राणाप्रताप सागर बाँध बना हुआ है जो कि जल भराव की क्षमता से राज्य का सबसे बड़ा बाँध है इस बाँध का 113 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
- चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बहने के बाद कोटा जिले में प्रवेश करती है ।
- **कोटा जिले में इस नदी पर जवाहर सागर व कोटा बैराज बाँध** बना हुआ है कोटा बैराज बाँध जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता।
- कोटा जिले के नौनेरा नामक स्थान पर "कालीसिंध नदी" चंबल में आकर मिल जाती है
- यह स्थान प्राचीन काल में कपिल मुनि की तपस्या स्थली रहा था।
- कोटा तथा बूंदी जिले की सीमा निर्धारित करती हुई यह नदी बूंदी जिले में प्रवेश करती है ।
- बूंदी जिले की केशवरायपाटन नामक स्थान पर इस नदी का सर्वाधिक गहरा पाट है जो 113 मीटर की गहराई तक है।
- बूंदी जिले से आगे चल कर यह नदी कोटा तथा सवाई माधोपुर की सीमा निर्धारित करती है।
- सवाई माधोपुर जिले के खण्डार तहसील के रामेश्वर नामक स्थान पर बनास तथा सीप नदी चंबल में आकर मिलती है तथा यहाँ त्रिवेणी संगम बनाते हैं।
- सवाई माधोपुर जिले के पालीया नामक स्थान पर चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती इसमें आकर मिलती है।
- धौलपुर जिले के पीलहाट होते हुए यह नदी राजस्थान से बाहर निकलती है और उत्तरप्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है।
- अंत में यह नदी उत्तरप्रदेश राज्य के इटावा जिले के मुरादगंज कस्बे में 225 किलो मीटर बहने के बाद यमुना में मिल जाती है यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

चंबल नदी से संबंधित अन्य तथ्य -

- चंबल नदी राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 20.90% भाग में है। यह नदी **"गांगेय सूस"** नामक स्तन पाई जीव के लिए प्रसिद्ध है।
- **चंबल यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित राज्य की एकमात्र नदी है बहाब की क्षमता की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी** चंबल ही है।
- यह सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है इसीलिए इसे "वाटर सफारी नदी" भी कहा जाता है।
- चंबल नदी से सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कोटा जिले में होता है।
- **चंबल नदी राज्य के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहती है।**
- यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर प्रत्येक 100 किलो मीटर की दूरी पर 3 बड़े बाँध बने हुए हैं और तीनों ही बाँध से जल विद्युत उत्पादन होता है।

सूकड़ी नं. 2 :-

- प्रारंभ में यह नदी बाड़मेर जिले के धावन नामक गाँव में प्रवेश करती है और फिर लगभग 20 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात् गोलिया गाँव के निकट लूनी नदी से मिल जाती है।
- इसके अतिरिक्त बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील में लिक नाड़ी बाड़मेर नगर के निकट, रानी गाँव नाला, कवास नाला और शिव तहसील का कोनायल नाला आदि जलधाराएं भी महत्वपूर्ण है।

3. आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ

I. घग्घर नदी -

- इस नदी को **अन्य नाम जैसे सरस्वती नदी, मृत नदी,** नट नदी, के नाम से जाना जाता है
- इस नदी की कुल लंबाई लगभग 465 किलोमीटर है **इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था।**
- **राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी घग्घर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से होता है।**
- यह नदी पंजाब, हरियाणा में बहकर **हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और भटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है।** किंतु कभी - कभी अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में यह नदी श्रीगंगानगर जिले में भी प्रवेश करती है तथा यहाँ पर यह नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है।
- इसके पश्चात् यह नदी सूरतगढ़, अनूपगढ़ में बहती हुई कभी - कभी पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में प्रवेश कर जाती है और **अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक जाकर समाप्त हो जाती है।**
- **पाकिस्तान में इस नदी को हकरा** नाम से जाना जाता है हकरा एक फारसी शब्द है। और पंजाब में इसे चितांग नाम से जानते है
- इस नदी को **वैदिक काल में द्रेषवती नदी** कहते हैं। **ऋग्वेद के दसवें मंडल में इस नदी का** उल्लेख है।
- **इस नदी के कारण "श्रीगंगानगर" को राजस्थान का "धान का कटोरा" कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे नाली कहते हैं।**
- यह **राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि पाकिस्तान में बहती है।**
- वर्षा ऋतु में इस नदी में पानी अधिक होने के कारण यह नदी इस नदी राजस्थान में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है इसीलिए **इसे "राजस्थान का शोक भी कहते हैं।**

2. कांतली नदी -

- यह नदी सीकर जिले में स्थित खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है।
- कांतली का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है।
- यह नदी सीकर व झुंझुनूं में बहने के बाद चुरू की सीमा के पास विलुप्त हो जाता है।
- यह एक मौसमी नदी है क्योंकि यह केवल वर्षा की ऋतु में ही बहती है कांतली नदी मिट्टी का कटाव अधिक करती है इसलिए इसे स्थानीय भाषा में "काटली नदी" कहा जाता है।
- प्रसिद्ध **गणेश्वर सभ्यता जो की सीकर** में है इस सभ्यता का विकास इसी नदी के तट पर हुआ है।
- गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है।
- लगभग 5000 वर्ष पूर्व सीकर जिले में इसी नदी के तट पर इस सभ्यता का विकास हुआ।
- यहाँ से मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए इससे ज्ञात होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व कांतली नदी में पानी की मात्रा रही होगी।
- कांतली नदी झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है नीमका थाना (सीकर) इसी नदी के किनारे स्थित है।
- पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से कांतली नदी राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लम्बी नदी है।

3. साबी नदी -

- **साबी का उद्गम जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से होता है।** यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहकर अलवर जिले की बानसूर तहसील में 25 किलोमीटर की सीमा नर्धारित करने के बाद हरियाणा राज्य के रेवाड़ी के समीप पटौदी नामक स्थान पर विलीन हो जाती है

- यह नदी अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है मानसून काल में इस नदी का पाट अत्यधिक चौड़ा हो जाता है।
- यह अपनी "**विनाश लीला**" के लिए प्रसिद्ध है
- अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने का प्रयास किया था लेकिन वह असफल रहा था ।
- जोधपुरा (जयपुर) नामक उत्खनन स्थल से "हाथी दांत के अवशेष" मिले हैं वह इसी नदी के तट पर स्थित है।

4. रूपारेल नदी -

रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले में स्थित उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, रूपारेल नदी को लसावरी नदी तथा बाराह नदी के नाम से भी जाना जाता है यह नदी भरतपुर में प्रवेश कर समाप्त हो जाती है।

5. मेंथा (मेड़ा) नदी -

मेंथा नदी का **उद्गम जयपुर जिले में स्थित मानोहर थाना क्षेत्र की पहाड़ियों से** होता है । मेंथा नदी उत्तर दिशा में बहकर जाती है और **नागौर में प्रवेश कर सांभर झील में मिल जाती** है । नागौर जिले में स्थित प्रसिद्ध जैनियों का लूँवाणा तीर्थ स्थल" इसी मेंथा नदी के किनारे स्थित है।

6. काकनी नदी या काकनेय नदी -

काकनी नदी या काकनेय नदी का **उद्गम जैसलमेर जिले के कोठारी गाँव से** होता है । इस नदी को "**मसूरड़ी नदी**" के नाम से भी जाना जाता है यह केवल 17 किलोमीटर बहती है अर्थात् इसकी कुल लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है। यह राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह वाली नदी भी है। इसका **समापन स्थल जैसलमेर जिले का बुझनी गाँव है जहाँ यह बुझ झील का निर्माण करती है**

7. रूपनगढ़ नदी -

यह सलेमाबाद (अजमेर) से निकलती है। यह नदी उत्तर – पश्चिम में बहती हुई **सांभर झील में विलीन** हो जाती है । इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है।

<u>राजस्थान में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर -</u>

1. हनुमानगढ़ (राजस्थान)-

➧राजस्थान का हनुमानगढ़ घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है ।

2. कोटा (राजस्थान)-

➧राजस्थान का कोटा चम्बल नदी के किनारे बसा हुआ है।

3. चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)-

➧राजस्थान का चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है।

4. टोंक (राजस्थान)-

➧राजस्थान का टोंक बनास नदी के किनारे बसा हुआ है।

5. झालावाड़ (राजस्थान)-

➧राजस्थान का झालावाड़ कालीसिंध नदी के किनारे बसा हुआ है।

6. गुलाबपुरा (राजस्थान)-

➧राजस्थान का गुलाबपुरा खारी नदी के किनारे बसा हुआ है।

7. जालौर (राजस्थान)-

➧राजस्थान का जालौर सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है।

8. अनुपगढ़ (राजस्थान)-

➧राजस्थान का अनुपगढ़ घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है।

9. नाथद्वारा (राजसमंद, राजस्थान)-

➧राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले का नाथद्वारा बनास नदी के किनारे बसा हुआ है।

10. भीलवाड़ा (राजस्थान)-

➧राजस्थान का भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है।

11. विजयनगर (राजस्थान)-

➧राजस्थान का विजयनगर खारी नदी के किनारे बसा हुआ है।

12. सूरतगढ़ (राजस्थान)-

➧राजस्थान का सूरतगढ़ घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है।

13. पाली (राजस्थान)-

▶राजस्थान का **पाली नगर बांडी नदी के** किनारे बसा हुआ है।

14. सुमेरपुर (पाली, राजस्थान)-

▶राजस्थान राज्य के पाली जिले का सुमेरपुर नगर जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है।

15. आसींद (भीलवाड़ा, राजस्थान)-

▶राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले का आसींद खारी नदी के किनारे बसा हुआ है।

16. सवाई माधोपुर (राजस्थान)-

▶राजस्थान का सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे बना हुआ है।

17. बालोतरा (बाड़मेर, राजस्थान)-

▶राजस्थान राज्य के **बाड़मेर जिले का बालोतरा लूनी नदी के किनारे** बसा हुआ है।

शोर्ट ट्रिक्स :- नदी के तट पर बसे हुए राजस्थान के शहर

सूत्र	नदी	स्थान
चमको	चम्बल	कोटा
कला झुला	कालीसिंध	झालावाड़
जवा सुमेरपाल	जवाई	सुमेलपुर (पाली)
बड़ा है चित्ता	बेड़च	चित्तौड़गढ़
खा आ भील	खारी	आसींद (भीलवाड़ा)
बाल हैं लम्बे	लूनी	बालोतरा (बाड़मेर)

राजस्थान में जिलेवार नदियाँ –

जिला	-	**नदियों के नाम**
अजमेर	-	खारी, डाई, लूनी
उदयपुर	-	सोम, साबरमती, बेड़च, बाकली
अलवर	-	साबी,गौंरी, सोटा, काली, रूपारेल
श्रीगंगानगर	-	घग्घर
कोटा	-	चंबल,पार्वती, कालीसिंध, परवन, निवाज
चित्तौड़गढ़	-	बनास, बामनी, बेड़च, बागन, बागली, औराई, सीबना, गंभीरी
चूरू	-	**कोई नदी नहीं हैं**
जयपुर	-	बाणगंगा, ढूंढ, बांडी, साबी, मोरेल, डाई, सीतामाशी, सखा
जोधपुर	-	लूनी, जोजरी, मीठड़ी (माठड़ी)
जालौर	-	सूकड़ी, लूनी, बांडी, जवाई, लीलड़ी
जैसलमेर	-	काकन (काकनेन), चांधण, लाठी, धोगड़ी,
झुंझुनू	-	काँतली
झालावाड़	-	कालीसिंधी, छोटी कालीसिंध, निवाज, पार्वती, आहू
डूंगरपुर	-	माही, सोम, सोनी, जाखम
बाँसवाड़ा	-	माही, चैंनी, अन्नास
नागौंर	-	लूनी
बाड़मेर	-	लूनी, सूकड़ी
बीकानेर	-	**कोई नदी नहीं हैं**
भरतपुर	-	गंभीर,बराह, बाणगंगा
बूंदी	-	कुराला, घोड़ा पछाड़, मेज, चंबल
सीकर	-	मेंथा, कांटली, कांवत
सिरोही	-	सूकड़ी, पश्चिम बनास, खारी कृष्णावती, भूला, पोसलिया, ओरा, सुखदा
भीलवाड़ा	-	बनास, बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी, मेनाली
सवाई माधोपुर	-	बनास,चंबल, मोरेल
धौलपुर	-	चंबल
दौंसा	-	बाणगंगा, मोरेल
बारां	-	पार्वती, परवन, कुकू

1. **जीरा मंडी - मेडता सिटी (नागौर)**
2. **सतरा मंडी - भवानी मंडी (झालावाड)**
3. कीन्नू व माल्टा मंडी - श्रीगंगानगर
4. प्याज मंडी - अलवर
5. अमरूद मंडी - सवाई माधोपुर
6. **ईसबगोल (घोड़ाजीरा) मंडी - भीनमाल (जालौर)**
7. मूंगफली मंडी - बीकानेर
8. धनिया मंडी - रामगंज (कोटा)
9. **फूल मंडी - अजमेर**
10. मेहंदी मंडी - सोजत (पाली)
11. लहसून मंडी - छीपा बाडौद (बारां)
12. **अश्वगंधा मंडी -झालरापाटन (झालावाड़)**
13. टमाटर मंडी - बस्सी (जयपुर)
14. मिर्च मंडी - टोंक
15. मटर - बसेड़ी (जयपुर)
16. टिण्डा मंडी - शाहपुरा (जयपुर)
17. **सोनामुखी मंडी - सोजत (पाली)**
18. **आंवला मंडी - चौमू (जयपुर)**

राजस्थान में प्रथम निजी क्षेत्र की कृषि मण्डी कैथून (कोटा) में आस्ट्रेलिया की ए.डब्लू.पी. कंपनी द्वारा स्थापित की गई है।

राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय

1. स्वामी केशवानंद कृषि विवि, बीकानेर
2. महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विवि, उदयपुर
3. कृषि विवि, जोधपुर
4. कृषि विवि, जोबनेर जयपुर
5. कृषि विवि, कोटा
6. **केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र, बीकानेर**

अध्याय – 8

राजस्थान में खनिज संसाधन

प्रिय छात्रों इस अध्याय के अंतर्गत हम राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे सबसे पहले हम समझते हैं कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं।

खनिज

- खनिज :- वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कि भू-गर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। खनिज प्रमुखतया प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थों के संयोग से निर्मित होते हैं।
- इनका निर्माण अजैविक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। सामान्य शब्दों में, वे सभी पदार्थ जो कि खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं।
- जैसे – लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट (जिससे एल्युमिनियम बनता है), नमक (पाकिस्तान व भारत के अनेक क्षेत्रों में खान से नमक निकाला जाता है), जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि।
- ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है तथा उनसे धातुओं का निष्कर्षण करना आसान होता है उन्हें अयस्क कहते हैं।

जैसे-

धातु	**अयस्क**
हेमेटाइट	लोहा
बॉक्साइट	एल्युमिनियम
गैलेना	सीसा
डोलोमाइट	मैग्नीशियम
सिडेराइट	लोहा
मेलाकाइट	तांबा

खनिजों के प्रकार

खनिज तीन प्रकार के होते हैं; धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज।

धात्विक खनिज:

लौह धातु: लौह अयस्क, मैंगनीज, निकेल, आदि।

अलौहधातु: तांबा, लैड, टिन, बॉक्साइट, कोबाल्ट आदि।

बहुमूल्य खनिज: सोना, चाँदी, प्लेटिनम, आदि।

अधात्विक खनिज:

अभ्रक, लवण, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना, पत्थर, संगमरमर, बलुआ, पत्थर, आदि।

ऊर्जा खनिज: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।

खनिज के भंडार:

- आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में : - इस प्रकार की चट्टानों में खनिजों के छोटे जमाव शिराओं के रूप में, और बड़े जमाव परत के रूप में पाये जाते हैं ।
- जब खनिज पिघली हुई या गैसीय अवस्था में होती है तो खनिज का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में होता है ।
- पिघली हुई या गैसीय अवस्था में खनिज दरारों से होते हुए भूमि की ऊपरी सतह तक पहुँच जाते हैं ।

उदाहरण: टिन, जस्ता, लैड, आदि।

अवसादी चट्टानों में: - इस प्रकार की चट्टानों में खनिज परतों में पाये जाते हैं ।

1. मुख्यतः अधात्विक ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं।

उदाहरण: कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटाश लवण और सोडियम लवण, आदि।

धरातलीय चट्टानों के अपघटन के द्वारा: - जब अपरदन द्वारा शैलों के घुलनशील अवयव निकल जाते हैं तो बचे हुए अपशिष्ट में खनिज रह जाता है । बॉक्साइट का निर्माण इसी तरह से होता है।

जलोढ़ जमाव के रूप में : - इस प्रकार से बनने वाले खनिज नदी के बहाव द्वारा लाए जाते हैं और जमा होते हैं । इस प्रकार के खनिज रेतीली घाटी की तली और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं । ऐसे में वो खनिज मिलते हैं जिनका अपरदन जल द्वारा नहीं होता है । उदाहरण: सोना, चाँदी, टिन, प्लेटिनम, आदि।

महासागर के जल में: - समुद्र में पाए जाने वाले अधिकतर खनिज इतने विरल होते हैं कि इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है । लेकिन समुद्र के जल से साधारण नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन निकाला जाता है।

राजस्थान में खनिज संसाधन –

प्रिय छात्रों राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।

- जैसा कि आपको पता है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पाई जाने वाली अधिक विविधताओं के कारण यह राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है । और इसी वजह से इसे "खनिजों का अजायबघर" भी कहा जाता है ।
- **खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान आता है जबकि खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से झारखंड, मध्यप्रदेश, गुजरात, असम के बाद राजस्थान का पांचवा स्थान है ।** राजस्थान में देश का कुल खनन क्षेत्र का 5.7% क्षेत्रफल आता है । देश में **सर्वाधिक खाने राजस्थान में स्थित है ।** देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है।
- राजस्थान में खनिज मुख्य रूप से अरावली में पाए जाते हैं । अतः इसे खनिजों का भण्डारगृह कहा जाता है ।

राजस्थान की भूमिका :-

भंडारण में	उत्पादन में	विविधता में	आय में
द्वितीय	द्वितीय	प्रथम	पाँचवा
स्थान	स्थान	स्थान	स्थान

(57 प्रकार के खनिज) 8। प्रकार के

राजस्थान में 8। प्रकार के खनिज पाए जाते हैं
आइए जानते हैं वह कौन - कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं।

1. ऐसे खनिज जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है -

पन्ना, जास्पर, तामड़ा, वोलेस्टोनाइट

2. ऐसे खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है -

जस्ता - 97%, फ्लोराइड 96%, **एस्बेस्टस** 96 %, रॉकफोस्फेट95%, जिप्सम 94 % चूना पत्थर 98%, खड़िया मिट्टी 92%, घीया पत्थर 90%, चांदी

80%, मकराना (मार्बल) 75%, सीसा 75%, **फेल्सपार** 75%, टंगस्टन 75%, कैल्साइट 70%, फायर क्ले 65%, ईमारती पत्थर 60%, बेंटोनाइट 60%, कैडमियम 60%

3. वे खनिज जिनकी राजस्थान में कमी है - लोहा, कोयला, मैंगनीज, खनिज तेल, ग्रेफाइट

राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों को तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है -

1. ***धात्विक खनिज*** – लौह अयस्क, मैंगनीज, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी इत्यादि।
2. ***अधात्विक खनिज*** - अभ्रक, एस्बेस्टस, फेल्सपार, बालुका मिट्टी, चूना पत्थर, पन्ना, तामड़ा इत्यादि।
3. ***ईंधन*** - कोयला, पेट्रोलियम, खनिज इत्यादि।

खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश काफी समृद्ध है।

- ***धात्विक खनिज –***

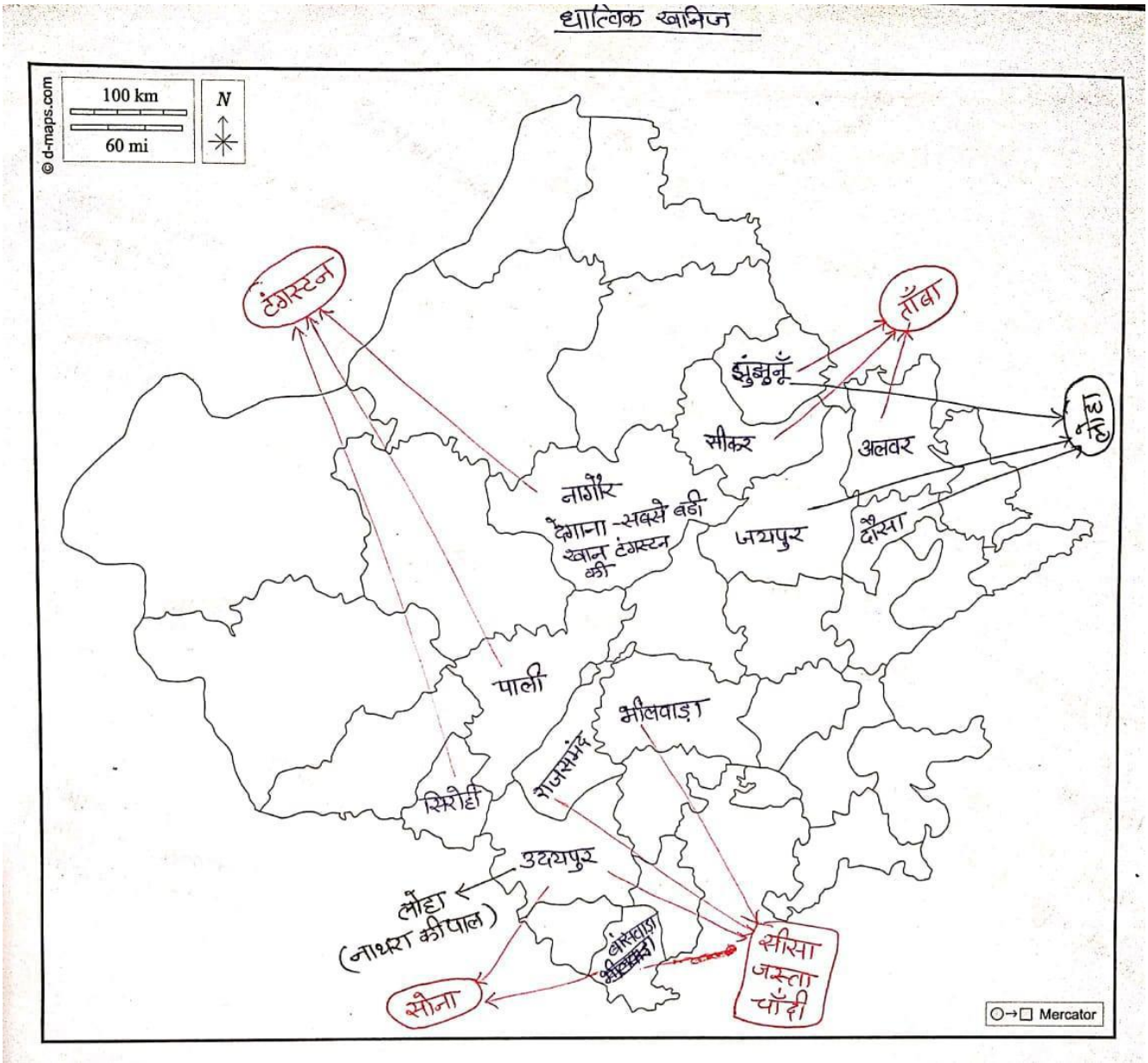

1. ***लोहा*** –राजस्थान में लोहा मुख्य रूप से अरावली के उत्तर – पूर्व एवं दक्षिण- पूर्व में पाया जाता है। लौहा अयस्क चार प्रकार का होता है-

i. मैग्नेटाइट	-	74 %
ii. हेमेटाइट	-	65 %
iii. लिमोनाइट	-	50 %
iv. सिडेराइट	-	40%

→राजस्थान में मुख्य रूप से लोहे का उत्पादन निम्न स्थानों पर होता है एवं राजस्थान में हेमेटाइट व लिमोनाइट लौह अयस्क पाया जाता है।

प्रमुख खान-

- मोरिजा- बानोल- जयपुर
- नीमला- राइसेला- दौंसा
- सिंघाना- डाबला-झुंझुनूं
- नीम का थाना- सीकर
- थूर हुण्डेर - उदयपुर
- नाथरा की पाल – उदयपुर
- **राजस्थान में सबसे अधिक लौहे का उत्पादन जयपुर जिले से होता है** । यह हेमेटाइट प्रकार का है।

2. सीसा-जस्ता :-

- सीसे जस्ते के अयस्क को गैलेना कहा जाता है । **यह अयस्क मिश्रित रूप में मिलने के कारण इसे जुड़वा खनिज भी कहते हैं।**
- राजस्थान में जिन स्थानों पर सीसे – जस्ते का उत्खनन होता है उन्हीं स्थानों से चाँदी व तांबा का उत्खनन होता है।

प्रमुख खान-

- **जावर खान- उदयपुर**

→यह देश की सबसे बड़ी जस्ते की खान है।

- राजपुरा-दरीबा- राजसमंद
- पुर- दरीबा- भीलवाड़ा
- रामपुरा- आगूचा- भीलवाड़ा
- गुढ़ा किशोरी - अलवर
- चौथ का बरवाड़ा - सवाई माधोपुर
- मोचिया – मगरा - उदयपुर
- रेल- मगरा- राजसमंद

→ राजस्थान में जस्ते के उत्खनन के लिए दो संयंत्र स्थापित किये गये है।

i. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर :- इसकी स्थापना केन्द्र सरकार के द्वारा की गई जो मुख्य रूप से देबारी नामक स्थान पर उत्खनन का कार्य करता है।

ii. चन्देरिया सुपर जिंक स्मेल्टर, चितौड़गढ :- इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई जो मुख्य रूप से जस्ते का उत्खनन कार्य करता है।

→राजस्थान में सीसा गलाने का संयंत्र न होने के कारण सीसे के अयस्क को टुंडू बिहार भेजा जाता है।

→राजसमंद के दरीबा, नामक स्थान पर सीसा गलाने का संयंत्र स्थापित किया गया है लेकिन इसकी क्षमता कम होने के कारण सीसे के बचे हुए अयस्क को बिहार भेजा जाता है।

3. चाँदी :- देश में सबसे अधिक चाँदी का उत्पादन राजस्थान में होता है।

प्रमुख खान

- राजपुरा – दरीबा - राजसमंद
- रामपुरा - आगूचा- भीलवाड़ा

4. सोना :- राजस्थान में सबसे अधिक सोने के भण्डार बाँसवाड़ा जिले में पाया जाता है।

→इसके अलावा दौंसा जिले में भी सोने के क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

बाँसवाड़ा के प्रमुख खान

- आनन्दपुर - भूकिया क्षेत्र
- जगपुर

नोट - आनन्दपुर भूकिया बाँसवाड़ा में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा सोने की खोज का कार्य किया जा रहा है।

5. तांबा :- तांबा राजस्थान में सबसे अधिक खेतड़ी नामक स्थान से निकाला जाता है।

→ तांबे के उत्पादन में राजस्थान का उड़ीसा के बाद दूसरा स्थान है एवं भंडार की दृष्टि से उड़ीसा, आंध्रप्रदेश के बाद तीसरा स्थान है।

→ राजस्थान में तांबा परिशोधन शाला खेतड़ी कस्बे में स्थापित की गयी है।

→ राजस्थान में तांबे के उत्खनन का कार्य हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जा है।

→ हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की राजस्थान में 3 परियोजनाएँ चल रही है।

i. HCL- Hindustan Copper Ltd.- खेतड़ी (झुंझुनूं)

ii. चांदमारी- कॉपर लि.- झुंझुनूं

iii. नीम का थाना कॉपर लि. – सीकर

तांबे के प्रमुख उत्खनन क्षेत्र

खेतड़ी- झुंझुनू {तांबा तीनों चट्टानों में पाया जाता है आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरित}

- खो - दरीबा - अलवर
- नीम का थाना - सीकर
- पुर बनेड़ा – दरीबा - भीलवाड़ा
- भगोनी - अलवर
- बन्नी वाली की ढाणी - सीकर
- राजपुर- दरीबा - राजसमंद
- अंजनी - सलूम्बर - उदयपुर
- भूगोल वारी क्षेत्र - चित्तौड़गढ़

नोट- *राजस्थान में सबसे अधिक तांबे के क्षेत्रों का नीम का थाना सीकर में पता लगाया गया है-*

1. ***मैंगनीज :-****राजस्थान में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन बाँसवाड़ा जिले में होता है ।*

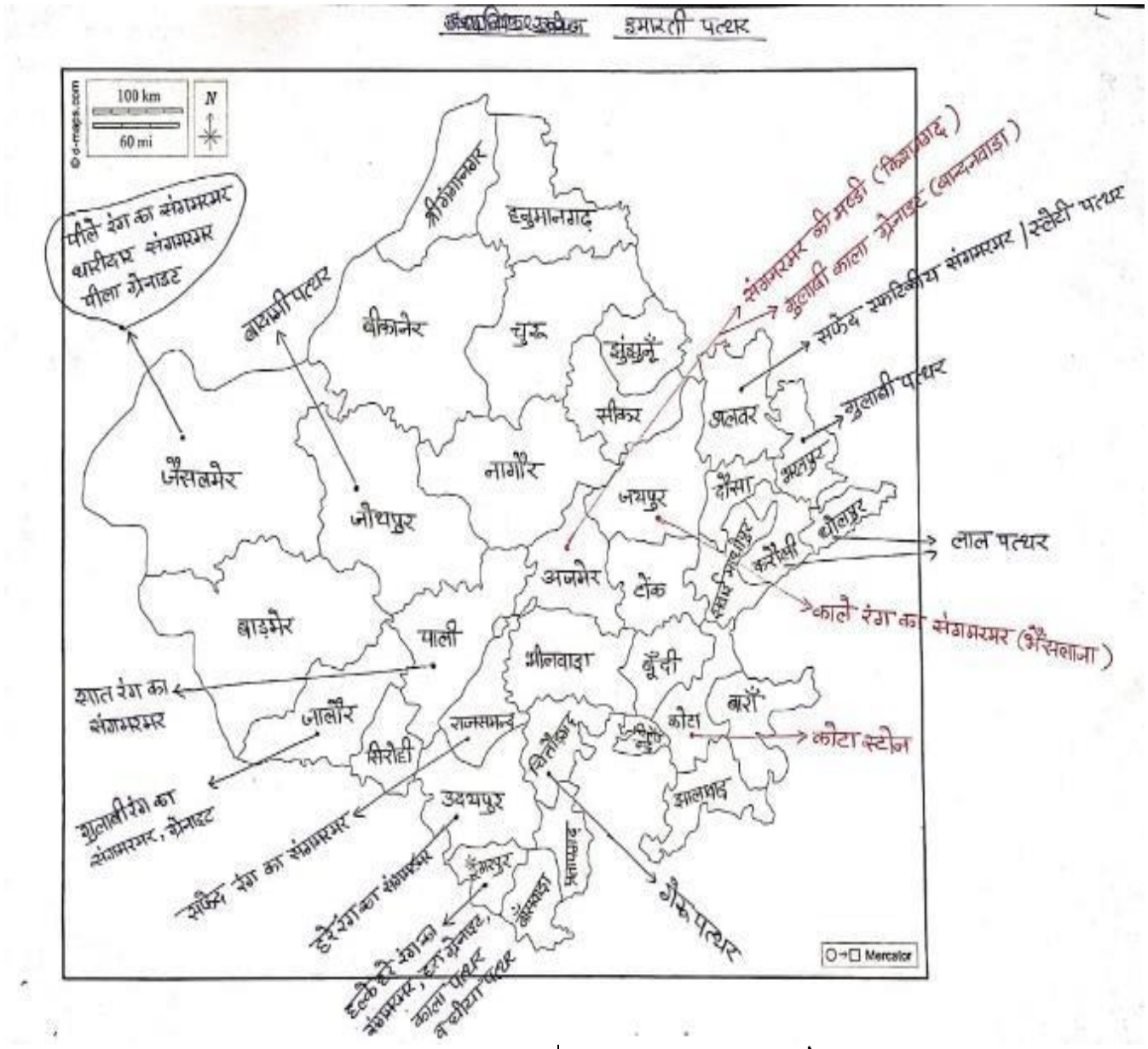

7. ***संगमरमर :***

→ *संगमरमर मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाये जाते हैं।*

→ *चूना-पत्थर पर आधारित दाब, ताप एवं आंतरिक क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानें कठोर हो जाती हैं उन अवसादी चट्टानों को मार्बल (संगमरमर) कहा जाता है।*

राजनगर- राजसमंद

→ ***राजस्थान में सबसे अधिक मार्बल का उत्पादन राजसमंद जिले से होता है*** *एवं राजस्थान में सबसे अधिक खनन के पट्टे मार्बल के है।*

किशनगढ़- अजमेर

→ *राजस्थान के किशनगढ़ में देश की सबसे बड़ी संगमरमर मण्डी है या संगमरमर परिशोधन शाला है।*

अध्याय – 2
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्

- मुख्यमंत्री किसी राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है । वह राज्य विधानसभा का नेता होता है । राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में है । वह राज्य का वास्तविक शासक/तथ्यत प्रमुख / डी-फैक्टों हेड होता है ।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 164 (1)** के तहत् की जाती है ।
- सामान्यत , राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है । लेकिन यदि चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है , उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है ।

राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे समय पर करता है जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो या चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो ।

NOTE- केन्द्र शासित प्रदेशों में (जहाँ विधानसभा है) मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति , राष्ट्रपति करता है । वर्तमान में भारत के तीन केन्द्र शासित प्रदेशों क्रमशः पुदुच्चेरी, दिल्ली और जम्मू- कश्मीर में विधानसभाओं का प्रावधान है ।

- **अनुच्छेद 164 (3)** मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है । राज्य का मुख्यमंत्री कार्यग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप **भारतीय संविधान की अनुसूची 3** में मिलता है ।

अनुच्छेद 164 (4) मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यता भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताएँ आवश्यक है जो एक मंत्री पद के लिए होती है । जैसे– (1) न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो । (2) राज्य विधानमण्डल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो ।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य न भी हो तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है । 6 माह के भीतर उसे विधानमण्डल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ता है । मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमण्डल के निम्न सदन (विधान सभा) का सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन (विधान परिषद्) के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मण्डल है तो ।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानपरिषद् का सदस्य है तो वह

(i) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता।

(ii) वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है ।

- **अनुच्छेद 164 (5)** मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों व कार्यकाल

मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा किया जाता है । वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री को 75,000 रु प्रतिमाह वेतन मिलता है । (1 अप्रेल , 2019 के बाद) स्मरणीय तथ्य : मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है , परन्तु वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है । अर्थात् जब तक कि उसका विधानसभा में बहुमत है । लेकिन यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है । मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है । और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है ।

अनुच्छेद 164 (2) - राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ

मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है ।

- मुख्यमंत्री , मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है और उनमें फेरबदल भी करता है । मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है ।
- मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् एवं मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है ।

NOTE- मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है।

- वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देता है तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है ।
- मुख्यमंत्री , राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है ।

अनुच्छेद 164 (1) क - इस अनुच्छेद को 91 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया । इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् का आकार निश्चित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15 % तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे ।

<u>राज्यपाल के संदर्भ में</u>

अनुच्छेद 167- इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्त्तव्यों का उल्लेख मिलता है ।

(i) वह मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करें।

(ii) राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में माँगे जाने पर सूचना प्रदान करना।

(iii) यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद् के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद् विचार नहीं किया है ।

NOTE- राज्य की प्रमुख संवैधानिक संस्था जैसे:- राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद-165), राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों (अनुच्छेद 243 I-पंचायतीराज, अनुच्छेद 243 Y- नगर निकायों के लिए) तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों (अनुच्छेद-316) राज्य निर्वाचन आयुक्त (अनुच्छेद 243 K-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 ZA- नगर निकायों के लिए) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह (विशेषतया मुख्यमंत्री) की जाती है।

NOTE-राज्य के प्रमुख सांविधिक/ वैधानिक निकायों जैसे:- राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान सुचना आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों तथा लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता।

NOTE-राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार (मुख्यमंत्री) द्वारा की जाती है।

<u>राज्य विधानमण्डल के संबंध में</u>

- मुख्यमंत्री , राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है ।
- मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है ।
- मुख्यमंत्री , राज्यपाल को सत्राहूत व सत्रावसान के संबंध में सलाह देता है ।

<u>मुख्यमंत्री के अन्य कार्य</u>

- राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते है ।
- अंतर्राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) के सदस्य होते है।
- राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते है ।
- नीति आयोग के सदस्य होते है ।
- वह संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते है तथा एक समय में इनका कार्यकाल1 वर्ष का होता है ।
- मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता तथा आपातकाल के समय वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है ।

राजस्थान में मुख्यमंत्री

पं. हीरालाल शास्त्री

- 30 मार्च, 1949 को राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के समय जब 15 देशी रियासतों का विलय कर वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया गया तब जयपुर रियासत के पूर्व प्रधानमंत्री पं. हीरालाल शास्त्री को 30 मार्च, 1949 को ही नये राज्य का प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया।
- उन्होंने राजस्थान के प्रधानमंत्री के तौर पर 5 जनवरी, 1951 तक कार्य किया। देश में 26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री पद का नाम बदल कर मुख्यमंत्री कर दिया गया।
- हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे।
- हीरालाल शास्त्री के समय 30 मार्च, 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई।
- हीरालाल शास्त्री एक बार लोकसभा सांसद भी रहे।

सी.एस. वेंकटाचार्य (कदांबी शेषाटार वेंकटाचार्य)

- हीरालाल शास्त्री को लेकर मतभेद पैदा हो गया और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें पद से हटा दिया गया। उनकी एवज में आई.सी.एस. अधिकारी श्री सी.एस. वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री का कार्यभार दे दिया गया।
- राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री (6 जनवरी, 1951 से 25 अप्रैल, 1951) बने।
- सी.एस. वेंकटाचार्य रियासती काल में बीकानेर व जोधपुर के प्रधानमंत्री भी रहे।

जय नारायण व्यास

- राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि मनोनीत (26 अप्रैल, 1951 से 3 मार्च, 1952) व निर्वाचित (1 नवम्बर, 1952 से 13 नवम्बर, 1954) दोनों रहे।
- प्रथम विधानसभा चुनाव में दो सीटों (जोधपुर शहर - बी व जालौर - ए) से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों सीटों से हार गये। लेकिन बाद में किशनगढ़ सीट से चांदमल मेहता को इस्तीफा दिलवाकर सीट खाली की तथा उपचुनाव जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने।
- जयनारायण व्यास एक बार राज्य सभा सांसद भी रहे।
- जयनारायण व्यास, मुख्यमंत्री बनने के पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे।

NOTE- राजस्थान में तीन मनोनीत मुख्यमंत्री बने (1) हीरालाल शास्त्री (2) सी.एस. वेंकटाचार्य (3) जयनारायण व्यास

टीकाराम पालीवाल

- टीकाराम पालीवाल प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री (3 मार्च, 1952 से 1 नवम्बर, 1952) बने। इससे पहले के सभी मुख्यमंत्री मनोनीत किये गए थे।
- जयनारायण व्यास के किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीतने के बाद इनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा व इन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया।
- एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे।
- यह राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री व प्रथम उपमुख्यमंत्री बने।
- यह लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे।

मोहनलाल सुखाड़िया

- सुखाड़िया जी ने कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव में जयनारायण व्यास को हराकर मात्र 38 साल की उम्र में प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया।
- 13 नवम्बर, 1954 को उन्होंने राज्य की कमान संभाली।
- इस के बाद वे वर्ष 1957 में दूसरी बार, वर्ष 1962 में तीसरी बार और वर्ष 1967 में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने।
- चौथी बार उन्हे अविश्वास प्रस्ताव से पद से हटाने का प्रयास किया गया लेकिन 26 अप्रैल, 1967 को उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध करने के बाद 8 जुलाई, 1971 को पद से इस्तीफा दे दिया।
- सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है।
- इनके पिता पुरुषोत्तमदास सुखाड़िया चर्चित क्रिकेटर थे।
- सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, 1954 से 1971 तक (17 वर्ष), 4 बार राजस्थान के

अध्याय – 14

महिला एवं बाल अपराध

विश्व में समय – समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है। इनमें भारत भी शामिल है। भारत में महिलाएँ सामाजिक रीति – रिवाजों द्वारा शोषित और दमित होती रही हैं।

इन अपराधों के निवारण में कमी एवं रोक हेतु विधान की आवश्कता थी। इसलिए समय – समय पर भारतीय संसद ने महिलाओं से संबंधित विधि का निर्माण किया है। भारतीय संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने करने के पूर्ण प्रयास किए गए हैं।

हिंसा - किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक आघात पहुँचाने उद्देशों के लिए किये गए शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहते हैं।

अपराध - जान बूझ कर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) के अंतर्गत विधि द्वारा निर्धारित सजा दिया जाता हो ऐसे काम अपराध कहलाते हैं।

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर यह कहना गलत नही होगा कि हिंसा और अपराध दोनों का एक - दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया - कलाप जिससे किसी व्यक्ति विशेष या समूह, समुदाय, समाज की भावनाएँ और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यवस्थाओं में आवांछित प्रभाव पड़े, वे सभी हिंसा और अपराध के श्रेणी में रखें जायेंगे। अपराध को हम एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं -

अपराध मनुष्य जाति के लिए जंगल में लगी आग की भांति होती है अगर इसे समय रहते नहीं रोका जाए तो यह भयंकर विध्वंस का रूप धारण कर मानव जाति पर एक प्रश्न खड़ा कर सकती है।

महिला अपराधों से संबंधित अति महत्त्वपूर्ण विधि -

1. हिन्दू विधवा 'पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
2. भारतीय दंड संहिता, 1860
3. भारतीय साक्ष्य, 1872 अधिनियम
4. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
5. 1882 संपत्ति अधिनियम का स्थानांतरण
6. रखवालों और वार्ड अधिनियम, 1890
7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
9. बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929
10. संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिलाओं के अधिकार, 1937
11. पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936
12. मुस्लिम विवाह का विघटन, अधिनियम 1939
13. कारखाना अधिनियम, 1948
14. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
15. भारत का संविधान, 1950
16. खान अधिनियम, 1952
17. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
18. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
19. किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 1956
20. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
21. हिंदू को गोद देने और भरण - पोषण अधिनियम, 1956
22. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
23. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
24. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961-1965
25. विदेश विवाह अधिनियम, 1969
26. गर्भावस्था अधिनियम की मेडिकल टर्मिनेशन, 1971
27. दंड प्रक्रिया संहिता, अधिनियम 1973
28. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984
29. महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986
30. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986
31. सती निवारण अधिनियम, 1987
32. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
33. जाति अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
34. महिला अधिनियम, के लिए राष्ट्रीय आयोग, 1990
35. मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993
36. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व Dignostic तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध), 1994 के कानून

37. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1996
38. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000
39. गर्भावस्था के विनियम के मेडिकल टर्मिनेशन, 2003
40. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
41. विधेयक के मसौदे "विवाह अधिनियम 2005 के अनिवार्य पंजीकरण"
42. वृद्धजन 'रख - रखाव, देख-भाल और संरक्षण विधेयक, 2005
43. महिलाओं का संरक्षण, अधिनियम 2005
44. घरेलू हिंसा कानून से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
45. परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005
46. निषेध का बाल विवाह अधिनियम, 2006
47. रख- रखाव और माता-पिता के कल्याण और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007
48. राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1998
49. राजस्थान महिला विकास सेवा अधिनियम, 2008
50. घरेलू कामगार कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2010
51. 'ऑनर' के नाम में अपराधों की रोकथाम और परंपरा विधेयक, 2010
52. राजस्थान महिला (अत्याचार से रोकथाम और संरक्षण) का मसौदा विधेयक, 2011
53. कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) में महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013
54. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
55. राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

महिला संबंधित अपराध

विश्व भर में महिलाओं से संबंधित अपराध देखे जा सकते हैं। इनमें हमारा देश भी शामिल है। जिन्हें भारतीय समाज में भी देखा जाता है -
महिलाओं से संबंधित अपराधों की श्रेणी में उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन एवं भावनात्मक उत्पीड़न शोषण शामिल है। भारत में महिलाओं पर होने वाले अपराध चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लगभग 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, जिनमें छेड़छाड़ मार-पीट, अपहरण, दहेज उत्पीड़न से लेकर बलात्कार एवं मृत्यु तक के मामले शामिल हैं।
उपर्युक्त महिला संबंधित अपराधों को रोकने, उनसे निपटने तथा उन अपराधों से महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित हैं: सर्वप्रथम वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान राज्य को यह अधिकार देता है, कि वह स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है।
भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) 1860 एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गए अपराधों के बारे में बताता है एवं उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 354 - A - यौन उत्पीड़न के लिए सजा, धारा 354 B. बल पूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना, धारा 354 C ताक - झाक करना, धारा 354 D पीछा करना एवं धारा 509 - शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।

प्रावधान –

1 से 7 वर्ष तक कारावास, आर्थिक दंड या दोनों से यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को सुरक्षित करना है।

भारतीय दण्ड संहिता संशोधित अधिनियम 2018:-

6 अगस्त, 2018 को बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा आपराधिक कानून (संशोधन) विधयेक, राज्य सभा में पारित हुआ ।

लोक सभा में यह 30 जुलाई, 2018 में पारित हुआ था ।

इस विधेयक में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

यह विधेयक भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 166-A, 228-A, तथा 376 में संशोधन करता है तथा तीन नई 376-AB, 376-DA और 376-DB जोड़ता है।

देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों (खास कर यौन उत्पीड़न) के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में ये कानून लागू किया गया है। नए कानून में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बलात्कार के मामले में पीड़ित की मौत हो जाने या उसके स्थायी रूप से मृतप्राय हो जाने की स्थिति में मौत की सजा का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए धारा 376 D के तहत् सजा की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष रखी गयी है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है । कानून में सहमति से यौन सम्बन्ध बनाने की उम्र 18 साल तय की गयी है। महिलाओं का पीछा करने एवं ताक - झाक पर कड़े दंड का प्रावधान है। ऐसे मामले में पहली बार में गलती हो सकती है, इसलिए इसे जमानती रखा गया है, लेकिन दूसरी बार ऐसा करने पर इसे गैर जमानती बनाया गया है । तेजाबी हमला करने वालों के लिए 10 वर्ष की सजा का भी कानून में प्रावधान किया गया है। इसमें पीड़ित को आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करते हुए, तेजाब हमले की अपराध के रूप में व्याख्या की गयी है । साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक सहायता या निःशुल्क उपचार उपलब्ध करायेंगे और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। कानून में कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जो प्राकृतिक जीवन-काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है और यदि दोषी व्यक्ति पुलिस अधिकारी, लोकसेवक, शस्त्र बलों या प्रबंधन या अस्पताल का कर्मचारी है तो उसे जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके तहत् बलात्कार पीड़िता को, यदि वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती है तो उसे अपना बयान दुभाषियों या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने की अनुमति दी गयी है। ये अधिनियम संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग है ।

दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी) 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। 1973 में पारित होकर यह कानून 1974 में लागू हुआ दंड प्रक्रिया सहिता के अंतर्गत हमेशा दो प्रक्रियाएँ होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961 (संशोधित 1986) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 को दहेज (निषेध) अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत लेने - देने या इसके लेन - देन में सहयोग करना दोनों अपराध है। दहेज लेने - देने, या इसके लेन - देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माना का प्रावधान है।

दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर या तो 6 महीने का अधिकतम कारावास है या 5000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ता है। बाद में संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सजाओं को भी बढ़ाकर न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 10 साल की कैद की सजा तय कर दी गयी । वहीं जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपये, कर दी गयी या मांगी गयी दहेज की रकम, दोनों में से जो भी अधिक हो, के बराबर कर दिया गया है। हालाँकि अदालत ने न्यूनतम सजा को कम करने का फैसला किया है लेकिन ऐसा करने के लिए अदालत को जरूरी और विशेष कारणों की आवश्यकता होती है (दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4) दंडनीय है- दहेज देना, दहेज लेना, दहेज लेने और देने के लिए उकसाना एवं वधु के माता-पिता या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग करना।

जाना चाहिए और खतरनाक कार्य करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए।

बाल श्रम से जुड़े अनुच्छेद

अनुच्छेद - 23: बालश्रम व मानव व्यापार का निषेध
अनुच्छेद - 21: खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति निषेध ।
अनुच्छेद - 34: बालकों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होगी ।
अनुच्छेद – 21 A: 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार

बच्चों से सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ

धारा - 82 इस धारा के अनुसार 7 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले बालक द्वारा कोई भी किया गया अपराध, अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा । क्योंकि कि इस वर्ष तक के बच्चे की मानसिक क्षमता इतनी व्याप्त नहीं होती कि वह समझ पाए कि अपराध क्या होता है ।
धारा- 83 : इस धारा के अनुसार 0 से 12 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाए तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा । यदि बालक मानसिक रूप से विकृत है।
धारा - 305 : किसी भी बालक द्वारा आत्महत्या व आत्मदाह का प्रयास करना अपराध माना जाएगा।

प्रावधान –

सजा 7 वर्ष
धारा – 326 : इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ तेजाब, हथियार आदि से हमला करना अपराध माना जाएगा ।

प्रावधान –

जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत् अपराध किया है । उस व्यक्ति को इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा प्रावधान किया गया है या फिर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है, या इसके अलावा साधारण कारावास की सजा हो सकती है, जिसकी समय सीमा को 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यायालय आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है।

धारा-326 A इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि जानबुझकर तेजाब या किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से हमला करता है तो कानून संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार आजीवन कारावास का प्रावधान है ।
धारा-326 B : यदि किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब इत्यादि से हमला करने का प्रयास किया जाता है तो निम्न प्रावधान है – कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष सजा का प्रावधान है ।
धारा – 369 : इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से किया गया हो कि शिशु का कोई भी शारीरिक अंग को चुराया जाए तो यह अपराध होगा जिसके लिए निम्न प्रावधान है ।
कम से कम 1 वर्ष तथा अधिक से अधिक सजा 5 वर्ष तक के सजा

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भारत सरकार का अधिनियम है, जिसे समाज में बाल विवाह को रोकने हेतु लागू किया गया है ।
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के धारा (B) के तहत् यदि कोई विवाहित जोड़े में से कोई भी एक नाबालिग है, तो इसे बाल विवाह माना जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 से कम उम्र के लड़के को इस अधिनियम के तहत् नाबालिग माना गया है। इसका अर्थ है कि विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया है।
केन्द्र सरकार द्वारा 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके और उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर हाल के वर्षों में इस प्रथा को रोकने की दिशा में काम किया गया है। इसके अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय किये गये हैं जो बाल विवाह कि इजाजत देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। यह कानून नवम्बर 2007 में प्रभावी हुआ ।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

इस अधिनियम के तहत् 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा।

इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है।

बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष तथा बाल विवाह को संपन्न करने वालों को इस अधिनियम की धाराओं के तहत् 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे।

इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को अमान्य घोषित करने का प्रावधान है।

यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम (पोक्सो एक्ट), 2012- बालकों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के समुचित उपचार एवं नियंत्रण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) लाया गया। 14 नवम्बर, 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) लागू किया गया। इस कानून में बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए पुलिस के स्तर पर शिकायत दर्ज कराने तथा न्यायायिक प्रक्रिया को बाल मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। इस कानून के द्वारा न सिर्फ बच्चों के प्रति होने वाले कई तरह के यौन लैंगिक अपराधों को कानून के दायरे में लाया गया है, साथ ही इन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से बच्चों के प्रति यौन हमला, यौन शोषण / उत्पीड़न, अश्लीलता गोपनीयता आदि को शामिल किया गया है। बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों के प्रति माता पिता, स्कूल, पड़ोसी, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, मीडिया, सामाजिक एवं सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 3)

एक व्यक्ति जब अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योनि, मुँह मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बच्चे से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है तो यह प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है, जो की अपराध है। किसी वस्तु या शरीर के ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बच्चे की योनि मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है या

बालक के लिंग योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, बालक के साथ ऐसा करवाता है। तो यह प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है, जो की अपराध है।

प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 4)

इस अधिनियम की धारा 4 में लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान करती है। यदि कोई प्रवेशन लैंगिक आघात करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

गुरुतर प्रवेशन लैंगिक (धारा 5)

यदि कोई लोक सेवक होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।

जब कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देख – रेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए, ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है।

लैंगिक हमला (धारा 6)

धारा 6 के अनुसार जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु वह आजीवन कारावास तक हो से दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

लैंगिक हमला (धारा 7)

जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

अध्याय – 1

अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य

प्रचलित कीमतों पर **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** (जीएसडीपी) **वर्ष 2021-22** के लिए **₹11.96 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जबकि **वर्ष 2020-21** के दौरान यह **₹10.13 लाख करोड़** था, जो कि **पिछले वर्ष** की तुलना में **18.04 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2021-22 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** अनुमान **₹7.33 लाख करोड़** अनुमानित किया गया है जो कि वर्ष **2020-21 के ₹6.60 लाख करोड़** से **11.04 प्रतिशत की वृद्धि** दर्शाता है।

प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) वर्ष **2021-22** के लिए **₹10.79 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जबकि **वर्ष 2020-21** के दौरान यह **₹9.14 लाख करोड़** था, जो कि **पिछले वर्ष** की तुलना में **18.01 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष **2021-22** में स्थिर (2011-12) कीमतों पर **शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद** अनुमान **₹6.48 लाख करोड़** अनुमानित किया गया है, जो कि **वर्ष 2020-21 के ₹5.84 लाख करोड़ से 11.05 प्रतिशत की वृद्धि** दर्शाता है।

प्रचलित कीमतों पर **प्रति व्यक्ति आय** वर्ष **2021-22** में **₹1,35,218** अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष **2020-21** की **₹1,15,933** से 16.63 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। **स्थिर (2011-12) कीमतों** पर **प्रति व्यक्ति आय** वर्ष **2021-22** में **₹81,231** अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष **2020-21** की ₹**74,009 से 9.76** प्रतिशत की **वृद्धि को दर्शाती** है।

आर्थिक विकास के मुख्य सूचक

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	रु. करोड़	628020	642929	679564	660118	733017
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर		832529	911674	999050	1013323	1196137
	प्रचलित मूल्यों पर						
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर	प्रतिशत					
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर		5.24	2.37	5.70	-2.86	11.04
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर		9.46	9.51	9.58	1.43	18.04
3.	सकल राज्य मूल्य वर्धन	प्रतिशत					
	स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान						
	(अ) कृषि		25.20	26.14	28.05	30.45	28.85

	(ब) उद्योग		32.52	27.65	26.09	25.26	26.34
	(स) सेवाएँ		42.28	46.21	45.86	44.29	44.81
4.	सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान	प्रतिशत					
	(अ) कृषि		26.14	25.88	27.83	30.98	30.23
	(ब) उद्योग		29.23	26.26	24.54	23.42	24.67
	(स) सेवाएँ		44.63	47.86	47.63	45.60	45.10
5.	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	रु.करोड़	557618	568102	598550	583645	648142
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर		748490	819340	898081	914262	1078903
6.	प्रति व्यक्ति आय						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	रु.	73529	73929	76882	74009	81231
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर		98698	106624	115356	115933	135218
7.	सकल स्थाई पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर	रु.करोड़	236069	265091	283423	276473	-
8.	कृषि उत्पादन सूचकांक * (आधार वर्ष 2005- 06 से 2007-08 =100)		170.17	183.07	202.56	204.97	
9.	कुल खाद्यान्न उत्पादन *	लाख मैं. टन	221.05	231.60	266.35	269.09+	225.20-
10.	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12 = 100)		133.08	140.37	126.90	122.34@	131.33@@
11.	थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000 = 100)		292.34	301.74	316.00	337.70	369.01$
	प्रतिशत परिवर्तन		1.78	3.22	4.73	6.87	9.27
12.	अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा)	मेगावाट	19553	21078	21176	21979	23321$
13.	वाणिज्यिक बैंक साख (सितम्बर)	रु.करोड़	219643	267523	315149	343406	375030

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

- RAS Pre. 2021 की परीक्षा में हमारे नोट्स में से 74 प्रश्न आये थे , जबकि cutoff मात्र 64 प्रश्न पर गयी थी /
- दोस्तों, राजस्थान SI 2021 (15 सितम्बर) की परीक्षा में हमारे नोट्स में से पेपर – 1 & 2 में 200 प्रश्नों में से 126 प्रश्न आये थे, cutoff से ज्यादा /

अन्य रिजल्ट -

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)

RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp - https://wa.link/nr1tcz

Online order - https://cutt.ly/o0zXjbh